सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 85 / 2016 अपील (RCMS/2018/00115)
पंजीयन दिनांक – 06.09.2016
निर्णय दिनांक – 22.10.2018

1. श्री दिलखुश गोत्र पुत्र उदा जी नाबालिग बवलायत (नेकस्ट फेंड) प्राकृतिक वलीक प्राकृतिक माता श्रीमती उगमा पत्नि श्री प्रकाश चन्द्र उर्फ प्रकाश गाडरी, निवासी गुढा (उमेदपुरा) पुलिस थाना एवं पोस्ट आकोला छिपों का तहसील भुपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता श्री रामा गाडरी, निवासी गुढा (उमेदपुरा) पुलिस थाना एवं पोस्ट आकोला छिपों का तहसील भुपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

– रेस्पोडेन्ट

2. लेहरू पिता हजारी गाडरी, निवासी गुढा (उमेदपुरा) पुलिस थाना एवं पोस्ट आकोला छिपों का तहसील भुपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

3. श्री रूपा पिता हजारी गाडरी, निवासी गुढा (उमेदपुरा) पुलिस थाना एवं पोस्ट आकोला छिपों का तहसील भुपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

– रेस्पोडेन्ट / आपत्तिकर्ता

4. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री के.एल. श्रीमाली व संदीप श्रीमाली – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, भूपालसागर प्रकरण संख्या 20 / 2015 दिनांक 27.06.2016

निर्णय

दिनांक 22.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, भूपालसागर प्रकरण संख्या 20/2015 दिनांक 27.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री भेरूलाल पिता रामा गाडरी निवासी गढ़ा ने दिनांक 26.06.2015 को आकोला शिविर में उपस्थित होकर ग्राम गुढ़ा के आ.न. 452 रकबा 0.89 हेक्टें, 126 रकबा 0.02 हेक्टें. व आ.न. 127 रकबा 0.40 में से श्री उदा पिता उकार गाडरी का हिस्सा क्रय का दिनांक 05.07.2012 व 05.06.2012 का पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण स्वीकृति बाबत दो अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री लेहरू, रूपलाल पिता हजारी गाडरी निवासी गुढा के नाम का प्रार्थना पत्र श्री प्रकाश गाडरी द्वारा पेश कर विवादित भूमि का वाद प्रक्रियाधीन होने से नामान्तरकरण नहीं खोलनें हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एल.आर.एक्ट की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों को सुनकर श्री भेरूलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 27.06.2016 यह कथन करते हुए पारित किया कि–

> ''मेनें पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज, बयान व रिपोर्ट भू.अ.नि. आदि का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विक्रेता द्वारा अपने बयान में बताया है कि मेनें भेरूलाल को रजिस्ट्री कराई है व रूपया प्राप्त कर कब्जा दे दिया है। गिरदावर ने भी अपनी रिपोर्ट में क्रयशुदा भुमि पर क्रेता द्वारा काबिज हो कर काश्त करना लिखा है। पत्रावली में संलग्न प्र.स. 107/12, 175/12, 178/12, 114/12, 301/15, 78/15 की Proceding में कही पर भी आ.न. 452 रकबा 0.89 हेक्टें, 126 रकबा 0.02 हेक्टें व आ. न. 127 रकबा 0.40 हेक्टें पर स्थगन बाबत नहीं लिखा है। प्रतिवादीगण श्री लेहरूलाल, रूपलाल पिता हजारी द्वारा अपने बयान में बताया कि अगली पेशी पर स्थगन लाकर दे देगें परन्तु बार बार पेशी समय चाहते हुए पेशी बदलने पर भी उक्त आराजी पर स्थगन बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ द्वारा प्र.स. 56/15 वाद स्थानान्तरण को प्रेसनोट पर ही खारिज कर दिया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम गुढ़ा की विक्रित आराजी 452 रकबा 0.89 हेक्टें, 126 रकबा 0.02 हेक्टें व आ.न. 127 रकबा 0.40 हेक्टें पर आज दिनांक को किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है व नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
>
> अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 05.07.2012 व 05.06.2012 से विक्रेता श्री उदा पिता उकार गाडरी के बजाय क्रेता श्री भेरूलाल पिता रामा गाडरी नि. गुढ़ा के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 08.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लेहरू एवं रूपा के इन्तकाल नहीं स्वीकृत करने के अनुरोध को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण खारिज कर दिया। ऐतराज में स्पष्ट कथन किया गया था कि पक्षकारान के बीच राजस्व न्यायालय में घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के विवाद के चल रहे है तथा मूल वाद के निर्णय में सभी तथ्यों को समावेश कर अंतिम निर्णय किया जाना है, ऐसी स्थिति में जब तक राजस्व वाद का निर्णय नहीं हो, इन्तकाल रदो–बदल की कार्यवाही स्थगित की जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मुलतः रेवेन्यु वाद में स्थगन है या नहीं इस तथ्य को आधार बनाकर इंतकाल कार्यवाही में स्थगन नहीं होना माना, जो निर्णय दिया, जो काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट दिलखुश को पक्षकार नहीं बनाया गया। स्व. उदा ने सारे रीति रिवाजों के अनुसार दिनांक 27.06.2012 को दिलखुश को अपना गोद पुत्र घोषित किया। गोद की रस्म के वक्त उदा की पत्नि जेती बाई जीवित नहीं थी। गोद के तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय में नहीं बताया गया। उक्त आदेश से अपीलान्ट दिलखुश के हक प्रभावित हो रहे है। अपीलान्ट दिलखुश नाबालिग है जिससे उसके हितों की रक्षा हेतु प्राकृतिक वलीक माता ने यह अपील की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में यह कथन भी किया कि अपीलान्ट को स्व. उदयलाल उर्फ उदा ने गोद रखा तभी से अपीलान्ट का इस जायदाद में उदयलाल के पार्सनर एवं पारिवारिक सदस्य होने से पैतृक जायदाद में हक हिस्सा निहित हो गया है। अवल उदयलाल ने कोई जायदाद विक्रय नहीं की और विकल्प में यदि कोई विक्रय पत्र मूलतः अवैध एवं शुन्य है, जिससे की उक्त भेरूलाल व अन्य खरीदारान का कोई हक हिस्सा व अधिकार उक्त जायदाद में निहित नहीं होता है। इस कारण भी उक्त इन्तकाल रदो–बदल आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2016 को निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा उनके कथन में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट दिलखुश को पक्षकार नहीं बनाया गया। स्व. उदा ने

सारे रीति रिवाजों के अनुसार दिनांक 27.06.2012 को दिलखुश को अपना गोद पुत्र घोषित किया तभी से से अपीलान्ट का इस जायदाद में उदयलाल के पार्सनर एवं पारिवारिक सदस्य होने से पैतृक जायदाद में हक हिस्सा निहित हो गया है। विद्वान वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा ऐतराज प्रस्तुत कर कहा कि पक्षकारान के बीच राजस्व न्यायालय में घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के विवाद के चल रहे है तथा मूल वाद के निर्णय में सभी तथ्यों को समावेश कर अंतिम निर्णय किया जाना है, ऐसी स्थिति में जब तक राजस्व वाद का निर्णय नहीं हो, इन्तकान रदो–बदल की कार्यवाही स्थगित की जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मुलतः रेवेन्यु वाद में स्थगन है या नहीं इस तथ्य को आधार बनाकर इंतकाल कार्यवाही में स्थगन नहीं होना माना और विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 27.06.2016 पारित किये जाने दौरान उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये दस्तावेजों एवं आपत्तियों का परिक्षण किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, भूपालसागर का निर्णय दिनांक 27.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर